न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना
बइजलास–पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–35/2020

प्रार्थीगण :–

1. पोनीदेवी पुत्री स्व. हरीरामजी पत्नी हडमानाराम जाति पुरोहित निवासी गुडानाल तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2. छगनीदेवी पुत्री स्व. हरीरामजी पत्नी शम्भूसिंह जाति पुरोहित निवासी पीहर ग्राम गुडानाल ससुराल धीरा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. केसरदेवी पत्नी स्व हीराराम जाति पुरोहित निवासी गुडानाल तहसील सिवाना जिला बाडमेर राजस्थान
2. अगांसदेवी पत्नी स्व. बगदाराम जाति पुरोहित निवासी गुडानाल तहसील सिवाना जिला बाडमेर राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना
4. श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 रा.का.अ. सपठित धारा आदेश 39 नियम 1,2 दी.प्र.सं.

हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा

उपस्थित:– 1. श्री पूनमचन्द रामदेव अधिवक्ता प्रार्थीगण

2 श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता विप्रार्थीगण संख्या 01 व 02

–: आदेश :–

दिनांक – 03.09.2021

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया गया प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 ता 02 की पुश्तैनी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम गुडा भाग संख्या 'अ'' में खसरा संख्या 530,531,542,543,615,624,व 783, रकबा क्रमशः 05.00,07.07,04.00,04.13,02.12,10.04, 05.09, व सरहद मौजा गुडा भाग संख्या 'ब' खसरा संख्या 613,617 व 618 रकबा क्रमशः 0.01,02.15 व 02.10 बीघा भूमि आई हुई है प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 व 02 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.31 13:16:05 IST
Reason: SelfAttested

हीराराम(...)

केसरदेवी (पत्नी) | बगदाराम (पुत्र) | [illegible] (पुत्री) | [illegible]देवी

अंगासदेवी (पत्नी)

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

वादग्रस्त कृषि भूमि भाग 'अ' में वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता का हिस्सा 1/2 एवं एवं भाग संख्या 'ब' में वादीगण का हिस्सा 1/6 व

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/6 का माफिक सजारा के अनुसार आता है । पुश्तैनी की वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का आये हक हिस्सा के अनुसार मौका पर इसी कदर प्रार्थी व विप्रार्थीगण मौका पर काबिज काश्त है । प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती होने व प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज नही होने से प्रार्थीगण को भूमि सुधार हेतु बैंक से .ऋण लेने एवं अपने अपने जोत भूमियों के सुधार करने मे कई प्रकार कानूनी परेशानिया आती है विप्रार्थी संख्या 1 ता 2 का मौका कब्जा काश्त अलग है व मौका पर ग्राम गुडा के खसरा संख्या 530,531,542 व 543 रकबा 21.00 बीघा पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का है व अपने हक व हिस्सेदारी भूमि पर विप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 हमेशा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हमेशा दखल करते रहे है ऐसा करने को उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है एवं विप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने प्रार्थीगण को नुकसान पहुचाने के इरादे से जानबूझ कर वादीगण के कब्जा काश्त को अन्यत्र हस्तान्तरित करने की धमकिया देते रहते है यदि विप्रार्थीगण की उक्त पैतृक भूमि जबरन अजनवी क्रेता को बेचान प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य मे संभव नहीं है। जिससे यह आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जाना आवश्यक होने से पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा दावा बाबत अधिकार घोषणा,बंटवाडा तकसामा व रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेघाज्ञा का न्यायालय श्री में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2015 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर वकील श्री नरपतसिंह भाटी उपस्थित हुए। तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के सभी पदों को अस्वीकार निवेदन किया कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर उनका कोई कब्जा है तथा न ही प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता हरीराम के जीवनकाल में वादग्रस्त आरजाी को कोई मौखिक बंटवाडा ही हुआ है वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 530,531,542 व 543 में प्रार्थीगण ने अपना कब्जा काश्त होना बताया जबकि न तो तो उक्त खसरान में प्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त रहा न ही रेकर्डेड [illegible] खसरान सम्पूर्ण की भूमि प्रार्थीगण के हक में दी गई ऐसा कोई [illegible] दस्तावेज ही पेश किा है । विप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 उनके हिस्से [illegible] वादग्रस्त आराजी पर काविज काश्तकार है तथा प्रार्थीगण का राजस्व [illegible] में कोई नाम इन्द्राज नहीं है अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा अनुतोष एक रेकर्डेड खातेदार के विरूद्व पारित नही किया जा सकता है इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों में से प्रार्थीगण ने जिस विशेष भूमि खसरान सम्पूर्ण खसरा संख्या 530,531,542 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.31 13:16:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सियाना
सहायक कलेक्टर (SDO) सियाना

543 रकबा 21.00 बीघा के खातेदारी अधिकार घोषणा व अनुतोष का दावा पेश किया है ऐसा अनुतोष यदि पूर्व में कोई रजिस्टर्ड बंटवाडा हो रखा हो तथा सह खातेदरान ने प्रत्येक खसरा मे से एक दूसरे के पक्ष मे अपने हक त्याग कर दिये हो तो ही संभव होता है अन्यथा नहीं अर्थात प्रार्थीगण का वाद पत्र प्रथम दृष्टया काबिल डिकी के ही नही है तो दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा विप्रार्थीगण 01 व 02 के विरूद्व जारी करना कतई सम्मत नहीं है तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति जैसे विचारणीय विधिक बिन्दू भी विप्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान है न कि प्रार्थीगण के पक्ष में चूंकि विप्रार्थीगण 01 व 02 रेकर्डेड खातेदार है व मौके पर काबिज काश्त हैं। अत प्रार्थीगण क प्रार्थना पत्र मय खर्चो खारिज फरमाय जावे।

दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अब इस न्यायालय को तय यह करना है कि **क्या प्रार्थीगण विरूद्ध विप्रार्थीगण निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?** पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में विप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 रेकर्डेड खातेदार टिनेन्ट है। मूल वाद में वादीनीगण/प्रार्थीगण किसी हिस्से की अधिकारिणी घोषित होती है तो विप्रार्थीगण द्वारा दौराने दावा किया गया अन्तरण धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानो से प्रभाव रखेगा। आज के दिन विप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार के तौर पर जमाबंदी में दर्ज है प्रथम दृष्टियां मामला सुविधा का सन्तुलन व क्षति का सिद्वान्त विप्रार्थीगण के पक्ष में व प्रार्थीगण के विरूद्व इस स्तर पर पाये जाते है। उपर्युक्तानुसार इस प्रार्थना पत्र मे अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनो की बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध तथा विप्रार्थीगण के पक्ष मे सावित होने से प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है। लिहाजा यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है तथा पूर्व मे जारी अंतरीम अस्थाई निषेधाज्ञा एतद्द्वारा निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। खर्चो पक्षकारन अपना-अपना वहन करे।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.31 13:16:05 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

आदेश आज दिनांक 03.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना